कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

क्र0 / मा.चि. / 7073

सिंगरौली, दिनांक. 20-11-2025

प्रति,

महाप्रबंधक,
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
खड़िया परियोजना शक्तिनगर, सोनभद्र यू.पी.

विषयः– वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न के वन कक्ष कमांक पी.एफ. 261 के रकवा 53.142 हेक्टेयर वनभूमि में खड़िया विस्तार परियोजना अंतर्गत कोयला उत्खनन व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव कमांक FP/MP/MIN/149270/2021

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र दिनांक 16.06.2025

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र कमांक / एफ–1 / 844 / 2023 / 10–11 / 1665 दिनांक 17.06.2025

3. वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल दमोह का पत्र कमांक / मा.चि. / 4274 दमोह दिनांक 26.08.2025

–000–

विषयांतर्गत के संबंध में सिंगरौली जिले में नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खड़िया विस्तार परियोजना व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत ऑनलाइन प्रस्तावित है। जिसमें वन मण्डल सिंगरौली में वन परिक्षेत्र बैढ़न अन्तर्गत कक्ष कमांक पी.एफ. 261 कुल रकवा 53.142 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिसमें भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गयी है।

सन्दर्भित पत्र (3) से लेख है कि प्रकरण में जारी प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार प्राप्त गैर वनभूमि की 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की संशोधित राशि एवं 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क जमा किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क0	मद का नाम	रकवा (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	कुल योग
1	क्षतिपूर्ति वनीकरण	53.142	2,31,36,838 / –	2,31,36,838 / –
2	10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क		23,13,683 / –	23,13,683 / –
			2,54,50,521 / –	**2,54,50,521 / –**

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना रकवा 53.142 हे0 की राशि रू. 2,31,36,838 / –(रू दो करोड़ एकतीस छत्तीस हजार आठ सौ अठतीस मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से एवं पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रू 23,13,683 / –(रू तेइस लाख तेरह हजार छः सौ तीरासी मात्र) को राजस्व मद में कुल राशि रू **2,54,50,521 / –**(रू दो करोड़ चौवन लाख पचास हजार पांच सौ एकइस मात्र) जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0 / मा.चि. / 7074

सिंगरौली दिनांक. 20-11-2025

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3. वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

SWETA DOCS\NCL\NCL KHADIYA\memo

कार्यालय वन संरक्षक, वन वृत्त सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक / व्यय / कैम्पा-2025 / 84 सागर दिनांक : 22/08/2025

कार्यालय वनमंडल अधिकारी दमोह के पत्र क्रमांक / मा.चि. / 907 दिनांक 22/08/2025 के अनुक्रम में इस कार्यालय का आदेश क्रमांक / व्यय / कैम्पा-2025/114 दिनांक 05/09/2024 द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

मध्य प्रदेश बुक ऑफ फायनेंस पावर्स 1995 भाग-दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकार में संशोधन उपरांत म.प्र.शासन, वित्त विभाग के पत्र कमांक / एफ 1194/191/2022 / नियम / चार भोपाल दिनांक 14/07/2022 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनमंडल अधिकारी दमोह द्वारा पत्र क्रमांक / मा.चि./ 907 दिनांक 22/08/2025 द्वारा संबंधित प्रकरण में वनमंडल सिंगरौली में प्रभावित वन भूमि रकवा 53.142 हेक्ट. के बदले परिक्षेत्र सागौनी अंतर्गत के निम्नांकित स्थल रकवा 53.142 hac. का 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना वृक्षारोपण (वर्ष 2025-26 से 2035-36) प्राक्कलन अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के अनुक्रम में उल्लेखित शर्तो के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र	वनमंडल का नाम	योजना / कार्य का नाम	तहसील	परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा क्र.	रकवा हे.में	राशि (रू.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दमोह	Khadia Expansion Open Cast Project FP/MP/MIN/149270/2021	पटेरा	सगौनी	घुघरी	73	53.142	23136838

1. मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम तथा एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के प्रावधानों का पालन किया जावें।
2. विकास कक्ष एवं कैम्पा कक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये सुसंगत दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित हो।
3. उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (रोपण पंजी / मेजरमेंट बुक एवं अन्य संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रमाणक में भी इसका उल्लेख किया जावें।) नियमानुसार किया जावेगा।
4. कार्यो का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावें।
5. प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन अथवा कार्य तादाद की पूर्ति प्रशासकीय अनुमोदन (अर्थात बजट आंवटन / भुगतान हेतु राशि उपलब्धता अनुसार) के अधीन होगा। केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रांरभ न किया जावे। मुख्यालय स्तर से आंवटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।
6. उपरोक्त कार्य के डिस्प्ले बोर्ड पर वृक्षारोपण की संपूर्ण जानकारी के साथ कैम्पा द्वारा निर्धारित LOGO आवश्यक रूप से बनवाया जावें।
7. वनमंडलाधिकारी कार्य पूर्ण उपरांत कार्य की सम्पूर्ण जानकारी E-Green watch Portal &PMS पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।
8. उपरोक्त कार्य के क्रियान्वयन में समय-समय पर जारी सुसंगत शासन / विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय अ.प्र.मु..व.सं. (कक्ष-भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र. / 5201, दिनांक 07.12.2023 एवं म.प्र.शासन वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का परिपत्र क्र. / एफ-25-36 / 2005 / 10-3 / 2002, भोपाल दिनांक 09 अक्टूबर 2023 के अनुक्रम में परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जावे एवं सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करते समय वनमण्डलाधिकारी, पर्यवेक्षण शुल्क की राशि आवेदक संस्थान से नियमानुसार जमा कराने बावत् आवश्यक कार्यवाही करें।

22/8/25
(रिपुदमन सिंह भदौरिया)
वन संरक्षक
सागर वृत सागर

कार्यालय वनमंडल अधिकारी
दमोह (म.प्र.)
आवक क्रमांक 1985
दिनांक 26/8/2025

D/Moaz/Campa/TS 2025

क्रमांक / व्यय / कैम्पा-2025 / 1243 सागर दिनांक 22 /08/2025

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मंडल अधिकारी दमोह की ओर उनके संदर्भित पत्र क्रमांक / मा.चि. / 907 दिनांक 22/08/2025 के संदर्भ में अनुमोदित वृक्षारोपण योजना की प्रति संलग्न कर अग्रेषित।
5. वनमंडल अधिकारी सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार ।

वन संरक्षक
सागर वृत सागर